

अनुसूची – 3 प्रपत्र ए
प्रपत्र वास्ते प्रार्थना आर्मस लाईसेन्स

1. नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म स्थान (जन्म पत्रिका के अनुसार)
4. जन्म सन् ईस्वी में (शब्दों व अक्षरों दोनों में)
5. हाल का पता
 - a) नजदीकी पुलिस स्टेशन
6. स्थायी पता
7. व्यवसाय और पद कार्यालय जहां स्थित हो अगर कोई हो तो (मय पूरे पते के)
8.ह0/निशानी अंगूठा प्रार्थी

टिप्पणी – नजदीक पुलिस स्टेशन का मतलब/पुलिस स्टेशन किस क्षेत्र में स्थित है, जैसे कि पता दिये हो ।

भाग बी प्रार्थी के अन्य विवरण

9. क्या प्रार्थी को –

- a) दोष सिद्ध (कनविकटेड किया जा चुका है यदि हों तो किन अपराध में सजा हुई और सजा का दिनांक) ।
- b) दण्ड प्रक्रिया सहित (कौमिनल प्रेसिडियर कोड) 1977 (2) सन् 74 अध्याय 8 के अधीन शान्ति तथा अच्छा व्यवहार बनाये रखने के लिए बन्ध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दिये गये थे यदि हां तो कब और कितनी अवधि के लिये ।
- c) आयुध नियम 1959 अथवा आय किसी विधि के अधीन आर्म्स एवं अमूनीशन रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

10. क्या प्रार्थी –

- a) क्या प्रार्थी ने पहले भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था उसका परिणाम क्या हुआ ?
- b) क्या प्रार्थी को अनुज्ञप्ति कभी निलम्बित अथवा निरस्त कर दी गई थी याद हो तो कब और किसे द्वारा तथा क्यों की गई थी ।
- c) क्या प्रार्थी के परिवार में किसी सदस्य के नाम आयुध अनुज्ञप्ति है यदि हो तो उसका विवरण ।

11. क्या प्रार्थी –

- a) अनुज्ञप्तिकारी (लाइसेन्स) है अथवा अनुज्ञप्ति रखने से मुक्त किया गया है तो ऐसे हथियारों का विवरण ।
- b) उसके पास हथियार रखने का सुरक्षित स्थान है । – **पक्का मकान**
- c) उस देश का नाम जहा उसका सम्बन्ध है । – **भारतवर्ष**
- d) क्या वह किसी नियम के अधीन हथियार रखने के अपने देश से प्रतिबन्धित किया गया है । – **नहीं**
- e) उसके भारतवर्ष में आने की तारीख । – **जन्म से**

टिप्पणी : सावधानी पूर्ण पर्यटक भारतवर्ष में हथियार लाने के लिये मुक्त है जैसे कि धारा 10 और नियम 32 आर्म्स अमूनीशन एक्ट में है उचित मात्रा अपने प्रयोग में लाने के लिए स्पोर्ट्स व दूसरे प्रयोग के लिए है ।

भाग – सी विवरण लाईसेन्स

12. किस कार्य के लिये लाईसेन्स की आवश्यकता है । – जान माल सुरक्षा
13. प्रपत्र जिसमें लाईसेन्स चाहिये । – III
14. आर्मस एवं अमूनीशन का विवरण ।
15.
 - a) क्षेत्र जिसके भीतर प्रार्थी हथियार ले जाना चाहता है ।
 - b) स्थान जहाँ आर्मस एवं अमूनीशन रखा जायेगा । – पक्का मकान
 - c) स्थान आयात/निर्यात तथा परिवहन का भाग ।
16. सम्बन्धित अनुज्ञप्ति पत्र में अपेक्षित अन्य विवरण ।
17. विशेष प्रकार दावे ।

टिप्पणी: कालम 12 में प्रार्थी स्पष्ट कारण अंकित करेगा, जिस कार्य के लाईसेन्स की आवश्यकता है विशेषाधिकार – जैसे कब्जा/ले जाने/बनाने/बिक्री/स्थानान्तरण/मरम्मत/बदलने/परीक्षण करने या अस्थाई परमिट बोनाफाईड यात्रा, भारतवर्ष में भ्रमण के लिए ।

भाग डी आयात/निर्यात परिवहन नियति व पुनः आयात के लिए

18. क्या –
 - a) नियम 50 के अधीन उपेक्षा सम्बन्धी अधिकार की पूर्ण स्वीकृति (यदि कोई हो) प्राप्त की है तथा यदि हाँ –
 - b) तो इसके समर्थन में समुचित प्रमाण ।

प्रमाण पत्र

मैं अपीन अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जो प्रार्थना-पत्र में अंकित किया गया है यदि यह सही नहीं है तो मैं आर्मस ऐक्ट 1992 के अधीन और दूसरे केन्द्रीय कानून व प्रपत्र में दिये गये नियमों के अधीन दण्ड का भागी रहूंगा ।

स्थान :- चमोली ।

ह0/निशानी अंगूठा प्रार्थी

दिनांक:- / /200

टिप्पणी : जो सूचना सम्बन्धी न हो उसे काट दें ।

चेतावनी : किसी प्रकार आक्रमण, वास्तविक सूचना या किसी प्रकार की सूचना प्रार्थना-पत्र अंकित करने पर धारा 51 को उपेक्षा करने पर धारा 30 आफ एक्ट 1994 के अधीन दण्ड पाने का भागीदार रहेगा ।